NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : NCRES/71/76/21 Date : 4.6.2021

श्रीमान महाप्रबंधक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :– कोविड–19 के कारण रेल कर्मचारियों के अनुपस्थिति अवधि को विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाना।

संदर्भ :– (1) रेलवे बोर्ड पत्र संख्या E(G)2020/LE2/1 दिनांक 3.9.2020
(2) NCRES का पत्र दिनांक 4.5.2021 व 8.5.2021
(3) सेन्ट्रल रेलवे पत्र संख्या P/CR/HQ/R/732/Misc/Covid-19 दिनांक 30.3.2021
(4) साउथ सेन्ट्रल रेलवे पत्र संख्या SCR/P-HQ/478/Covid-19/Vol-I दिनांक 5.5.2021
(5) वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे का पत्र संख्या WCQ/PHQ/Ruling/Covid-19/Misc दिनांक 7.5.2021
(6) एन.डब्लू.आर. का पत्र संख्या 305-E/1/5/Covid-19 Policy दिनांक 28.5.2021

महोदय,

NCRES ने अपने पत्र दिनांक 4.5.2021 एवं 8.5.2021 द्वारा अवगत कराया था कि समूचा देश कोविड के दूसरे फेज की महामारी से ग्रसित है व नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के लगभग सभी जिले इस महामारी की चपेट में है, ऐसी स्थिति में यदि कर्मचारी व उनके परिवार का सदस्य कोविड–19 से ग्रसित होने के कारण हास्पिटल में भर्ती होकर या होम आइसोलेशन में रह कर इलाज करा रहा है तो उसे रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 3.9.2020 के पैरा 4.5 एवं पैरा 9 के अनुसार 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लाक डाउन व लाक डाउन जैसी स्थिति में भी सरकार की तमाम बंदिशो के कारण यदि कर्मचारी ड्यूटी पर न पहुँच सके तो ऐसी स्थिति में भी विशेष अवकाश दिया जा सकता है।

यह भी अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 3.9.2020 के आलोक में सेन्ट्रल रेलवे ने दिनांक 30.3.2021 को, साउथ सेन्ट्रल रेलवे ने दिनांक 5.5.2021 को, वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे ने

दिनांक 7.5.2021 को व उत्तर पश्चिम रेलवे ने दिनांक 28.5.2021 को व अन्य रेलवे ने कोविड–19 से ग्रसित कर्मचारियों को 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देने का आदेश जारी कर दिया है किन्तु खेद का विषय है कि NCRES के तमाम प्रयासो के बावजूद नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के प्रधान कार्यालय ने कोरोना संक्रमण से प्रभावित कर्मचारियों के पक्ष में आदेश जारी करने के बजाय कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण के लिये पूरा केस दिनांक 18.5.2021 को रेलवे बोर्ड भेज दिया जिससे कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है।

NCRES का अनुरोध है कि रेलवे बोर्ड से स्पष्टीकरण आने तक अन्य जोनो के तर्ज पर नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में भी विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा प्रदान करने के लिये उचित आदेश करने का कष्ट करें, जिससे कर्मचारियों का आक्रोश खत्म हो सके।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

प्रतिलिपि : प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज